

GSSS

आयकर गणना प्रपत्र वर्ष 2025-2026 (कर निर्धारण वर्ष 2026-2027) (NEW TAX REGIME)

1	नाम कर्मचारी :	Employee Name	पद :	Teacher	Mobile No	0	PAN :	AAAAAXXXA
2	आय : वर्ष-2025-26 में प्राप्त कुल वेतन (कर योग्य सुविधाओं के मुल्य सहित)							
3	(अ) गृह सम्पत्ति से आय: (1) स्वयं के उपयोग में - शून्य		(2) प्राप्त किराया रु.		0.00			
	(ब) घटाये	किराये का 30%	गृह ऋण पर ब्याज Let Out House Property Only	गृहकर	योग 3(ब)			
		0.00	0.00	0.00	0.00			
	शेष - / + (3(अ) एवं योग 3(ब) का)							
4	कुल - / + (2 एवं 3)							
5	अन्य आय							
6	सकल आय							
	योग (4+5)							
7	घटाइये कटौतियाँ :-							
	(A) स्टैण्डर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) 75,000 (अधिकतम)							
	(B) घटाइये- धारा 80CCD(2) नियोजिता द्वारा पेंशन अंशदान की राशि (अधिकतम वेतन का 14%) पृथक से छूट							
	कुल (7A एवं 7B)							
8	कर योग्य आय (6 - 7)							
9	कुल आय की राशि को सम्पूर्ण करना (दस के गुणक में) धारा 288A							
10	आयकर की गणना उपरोक्त कॉलम 15 के आधार पर							
	एक व्यक्ति कर दाता		वरिष्ठ नागरिक (60 से 80 वर्ष तक)		80 वर्ष या अधिक आयु			
	4,00,000 तक	Nil	4,00,000 तक	Nil	4,00,000 तक	Nil		
	4,00,001-8,00,000	5%	4,00,001-8,00,000	5%	4,00,001-8,00,000	5%		
	8,00,001-12,00,000	10%	8,00,001-12,00,000	10%	8,00,001-12,00,000	10%		
	12,00,001-16,00,000	15%	12,00,001-16,00,000	15%	12,00,001-16,00,000	15%		
	16,00,001-20,00,000	20%	16,00,001-20,00,000	20%	16,00,001-20,00,000	20%		
	20,00,001-25,00,000	25%	20,00,001-25,00,000	25%	20,00,001-25,00,000	25%		
	25,00,001 से अधिक	30%	25,00,001 से अधिक	30%	25,00,001 से अधिक	30%		
	(1) योग आयकर							
	(2) छूट धारा 87(A) (12.00 लाख तक की कर योग्य आय पर आयकर की छूट) या छूट धारा 115A (Marginal Relief)							
	(3) शेष आयकर (1-2)							
	(4) शिक्षा उपकर 2% एवं उच्च शिक्षा के लिए अधिभार 2% (योग 4%)							
	कुल आयकर (3+4)							
11	घटाइये :- राहत धारा 89 के तहत							
12	कुल शेष आयकर							
13	आयकर कटौती का विवरण	सितम्बर 2025 तक रूपये	अक्टूबर से दिसम्बर 2025 तक रूपये	जनवरी 2026 तक रूपये	फरवरी 2026 तक रूपये	टी.डी.एस. रूपये	योग कॉलम 19	
	Income Tax Payble/Refundable							

<https://yogeshmaheshwari.com/vetan-draw/>